राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान

- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए और भारत सरकार में लेखा एवं वित्त का कार्य देखने वाले वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन पदों के संचालन के लिए जिम्मेदार विभिन्न सेवाओं को आबंटित अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्था के रूप में 1993 में की गई थी। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान को भारत में ही नहीं अपितु एशिया में भी वित्तीय प्रबंधन और संबंधित विषयों के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान को अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए उस समय विद्यमान विभागीय अकादमियों की तुलना में अधिकाधिक लचीलापन और स्वायत्ता मिले, यह निर्णय लिया गया कि संस्थान एक कानूनी संस्था होगी जिसे 'सोसाइटी' के रूप में जाना जाएगा। ऐसी सोसाइटी अपने नियमों और विनियमों को बनाने के लिए कानूनी रूप से प्राधिकृत स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं। यह संरचना, संस्थान के शैक्षिक और प्रशासनिक, दोनों मामलों में अधिकाधिक स्वायत्ता उपलब्ध कराती है जिससे अपेक्षित लक्ष्यों और उद्देश्यों की बदलती धारणाओं के प्रत्युत्तर में शीघ्र निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

- वित्त मंत्री इस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार सरकार के साथ इसका निकट संपर्क सुनिश्चित किया गया है। प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में एक शासी मंडल है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त निदेशक, संस्थान के प्रशासन और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह यह स्पष्ट है कि इस संस्थान का भारत सरकार के साथ निकट संपर्क है और सीधी पहुंच है। संस्थान अपने प्राध्यापकों की भर्ती सिविल सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा या शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों में से चयन द्वारा करता है। इसलिए, संस्थान को शैक्षिक के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के प्राध्यापकों का भी विशेष लाभ मिलता है। यह संस्थान प्राध्यापकों की योग्यता और संख्या के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीआई) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करता है।

- इस समय यह संस्थान एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित 5 दीर्घकालिक कार्यक्रम - लेखांकन सेवाओं के नए भर्ती परिवीक्षार्थियों के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा नामक एक वर्षीय व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम; सरकारी वित्तीय प्रबंधन

में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम; केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के अधीन अन्य संगठनों के अधिकारियों के लिए प्रबंधन (वित्तीय प्रबंधन) कार्यक्रम में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जो एआईयू द्वारा एमबीए के समकक्ष विधिवत मान्यता-प्राप्त और एनबीए द्वारा मान्य हो; और योग्य शोधकर्ता, शिक्षक और परामर्शदाता तैयार करने के लिए प्रबंधन (वित्तीय बाजार) में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा चलाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान वित्तीय बाजार में एक वर्षीय साप्ताहांत स्नातकोत्तर कार्यपालक कार्यक्रम; और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों के लिए विभिन्न अल्पकालिक कार्यक्रम भी चलाता है। विभिन्न देशों के अधिकारी भी इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान भारत सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों और दूसरे देशों को परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करता है।

- इस संस्थान ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शी परियोजनाएं भी निष्पादित की हैं। यह संस्थान छमाही पत्रिका और मासिक समाचार-पत्रिका प्रकाशित करता है।

- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग किया है। संस्थान ने ई-कार्यालय, बायो-मीट्रिक उपस्थिति, सीसीटीवी, सुरक्षा निगरानी और वीडियो सम्मेलन प्रणाली और टेली लेक्चर प्रणाली लागू की है। यह बड़े गर्व की बात है कि राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान अब भारत और विदेशों में वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, शोध और परामर्शी कार्यों में "उत्कृष्टता केन्द्र" के रूप में उभरा है।

और अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.nifm.ac.in देखें।